महुआ शराब एवं महुआ लाहन पकड़ाया

रायगढ़- कलेक्टर रायगढ़ द्वारा सहायक आयुक्त आबकारी विभाग को जिले में अवैध मदिरा विक्रय परिवहन एवं निर्माणकर्ताओं पर सघन कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग को सूचना मिली कि खरसिया के ग्राम केनाभांठा एवं जामझोर में अवैध मदिरा एवं लाहन का विक्रय किया जा रहा है। सहायक आयुक्त आबकारी को उक्त सूचना मिलते ही उन्होंने आबकारी टीम को उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त आबकारी के निर्देशन में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त खरसिया आशीष उप्पल सहायक उप निरीक्षक गंगा प्रसाद बंजारे एवं स्टाफ द्वारा ग्राम केनाभाठा खरसिया में जाकर कंवरलाल के पास 2 लीटर महुआ शराब एवं 20 किलो महुआ लाहन तथा महुआ शराब बनाने के उपकरण जप्त किए। इसी प्रकार ग्राम जामझोर निवासी तेजप्रताप राठिया के पास से दो लीटर महुआ शराब सहित 30 किलो ग्राम महुआ लाहन एवं मदिरा बनाने के उपकरण जप्त करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की गई।

लोक सुराज में प्राप्त आवेदनों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें

रायगढ़, **(आरएनएस)।** कलेक्टर श्रीमती शम्मी आबिदी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर लोक सुराज अभियान के आवेदनों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 से 31 मार्च तक सभी विकासखण्डों में लोक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित आवेदनों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिले में मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव एवं अन्य मंत्रियों का आकस्मिक दौरा रहेगा और वे निराकृत आवेदनों की जानकारी भी लेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारी समय-सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, नगरीय निकाय एवं फूड इस्पेक्टर को अवगत कराया कि राशन कार्ड, पेंशन संबंधी आवेदनों के निराकरण के लिए आपस में सहयोग प्रदान करें, ताकि लोगों को समाधान शिविर में निराकृत आवेदनों की जानकारी प्राथमिकता से दी जा सके। उन्होंने अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित निराकृत आवेदनों की गोशवारा भी तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही आवेदनों की ऑनलाईन एन्ट्री प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 6 से 11 मार्च तक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 8 अप्रैल को

रायगढ़ - रायगढ़ जिले के विकासखण्ड खरसिया स्थित ग्राम.छोटे मुड़पार में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन 8 अप्रैल 2018 को प्रात 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक किया जाएगा। चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इस प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदक विद्यार्थी की आयु सीमा 1 जुलाई 2018 को 10 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होना चाहिए तथा आवेदक विद्यार्थी शिक्षण सत्र 2017.18 में आयोजित कक्षा 5 वीं की कक्षा में सम्मिलित हो अथवा पूर्व वर्ष में कक्षा 5 वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर सकते है। चयन परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी को कक्षा 5 वीं की परीक्षा 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र 20 मार्च 2018 तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ अथवा प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार विकासखण्ड खरसिया एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ में सीधे पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इस संबंध में आवश्यक दिशा.निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है। आवेदन का प्रारूप संबंधित कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

7 लोगों की असामयिक मृत्यु वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़ - विकासखण्ड रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ अंतर्गत 7 लोगों की पानी में डूबने एवं आकाशीय गाज की वजह से असामयिक मृत्यु हो गई। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा एसडीएम की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6.4 के तहत उनके नजदीकी वारिसानों को 4.4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ कालोनी के राहुल समद्दार एवं बिट्टू समद्दार की 31 जुलाई 2017 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता प्रवीण समद्दार को 4.4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह धरमजयगढ़ कालोनी के आदित्य हलदार की 31 जुलाई 2017 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता दिलीप हलदार को 4 लाख रुपएए धरमजयगढ़ के ग्राम पारेमेर की प्यासराम मझवार की 25 अगस्त 2017 को आकाशीय बिजली गाज से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी रीताबाई को 4 लाख रुपए रायगढ़ के पतरापाली पश्चिम निवासी मो.अकीब तुफैल की 13 अप्रैल 2017 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता जहांगीर आलम को 4 लाख रुपए रायगढ़ के ग्राम बलभद्रपुर निवासी नकुल खडियां की 18 जनवरी 2017 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी गीता खडिया को 4 लाख रुपए एवं जूटमिल लेबर कालोनी रायगढ़ के संजीत पाण्डेय की 15 अक्टूबर 2017 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता लालजी पाण्डेय को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

शीतलहर के कारण स्कूल संचालन समय में हुआ परिवर्तन निरस्त

रायगढ़ -कलेक्टर श्रीमती शम्मी आबिदी द्वारा विगत दिवस जिले में ठण्ड मौसम में शीतलहर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्त शासकीय अशासकीय पूर्व प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के संचालन का समय प्रात 8.30 बजे से निर्धारित किया गया था। कलेक्टर ने उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अब शाला संचालन का समय पूर्ववत रखने हेतु आदेशित किया है।

विशेष ग्रामसभा का आयोजन 6 से 11 मार्च तक

रायगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जो आवास स्वीकृति हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते है लेकिन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में सर्वेक्षित नहीं होने के कारण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा जिनके द्वारा आवेदन ग्राम जनपद पंचायत के माध्यम से जिला स्तरीय अपीलीय समिति को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त हितग्राहियों के चिन्हांकन के लिए जिले में विशेष ग्रामसभा का आयोजन 6 से 11 मार्च 2018 तक किया जाएगा। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ समस्त एसडीएम एवं सभी जनपद सीईओ को विशेष ग्रामसभा के आयोजन हेतु दीवार लेखन मुनादी एवं व्यापक प्रचार.प्रसार करने हेतु निर्देशित किया है।

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की

खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में ऐजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931